डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर सेडवा मुकाम सेडवा

व इजलास श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण–

1. पार्वती पुत्री विरधाराम पत्नी कृष्णराम, जाति मेगवाल, निवासी बोरला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर
2. गुलाबी पुत्री विरधाराम पत्नी मेवाराम जाति मेगवाल, निवासी बोरला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
3. भगवती पुत्री विरधाराम जाति मेगवाल, निवासी अम्बावा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. विरधाराम पुत्र पुनमाराम 2. अमराराम पुत्र ताजाराम 3. डूंगराराम पुत्र उदाराम 4. चैनाराम पुत्र उदाराम 5. जोधाराम पुत्र ताजाराम 6. मेवाराम पुत्र ताजाराम 7. बागाराम पुत्र उदाराम 8. पीराराम पुत्र उदाराम (फौत) के कायम मुकाम 8/1. परखाराम पुत्र पीराराम 8/2. आसुराम पुत्र पीराराम 8/3. हड़मत पुत्र पीराराम 8/4. विष्णु पुत्र पीराराम 8/5. कीड़ीदेवी पत्नी पीराराम 9. हंजारीराम पुत्र विरधाराम 10. ताराराम पुत्र विरधाराम 11. गोरधनराम पुत्र विरधाराम 12. घेवरराम पुत्र विरधाराम नाबालिंग जरिये माता दाड़मदेवी 13. दाड़मदेवी पत्नी विरधाराम जाति मेगवाल, निवासी अम्बावा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 14. सांवलाराम पुत्र गंगाराम जाति मेगवाल, निवासी डूंगरी, तहसील सेड़वा, जिला जालोर 15. व्यवस्थापक–एस.बी.आई. बैक शाखा सेड़वा 16. व्यवस्थापक एसबीआई शाखा साता 17. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सेड़वा।

वाद बाबत धारा 88,188, 207 RT Act.

मुकदमा नं. 188/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रूबरू **न्यायालय** बहाजरी **श्री मेहराराम वादीगण** अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 09 से 13 के वकील श्री करनाराम कड़वासरा, एवं प्रतिवादी संख्या 14 के वकील श्री दोशमोहम्मद मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है **कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा अम्बावा पटवार क्षेत्र तरला, भू.अ.नि. क्षेत्र बाखासर तहसील सेड़वा में खाता संख्या नया 53 के खसरा संख्या 442/276 रकबा 21–0193 हैक्टेयर किस्म बा0सोयम, खाता संख्या 121 खसरा संख्या**

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

/276 रकबा 4.2007 हैक्टैयर, किस्म बा0सो0 व खाता संख्या 99 खसरा संख्या 434/276 रकबा 1.0441 हैक्टैयर, किस्म बा0सो0 भूमि में वादीगण की पुश्तैनी होने से पुश्तैनी भूमि में जन्मसिद्व हक हकूक अधिकार होने से वादग्रस्त भूमि में वादीगण के पिता विरधाराम के हिस्से में वादीगण प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 09 से 13 प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है।

तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

बसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 30/09/2026 को जारी की गई।

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर सेड़वा

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद के लिए स्टाम्प		शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यह		आदेशिका की तामिल	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

वाद के खर्चे

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 188/2023

पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

उनवानः–

वादीगण–

1. पार्वती पुत्री विरधाराम पत्नी कृष्णराम, जाति मेगवाल, निवासी बोरला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर
2. गुलाबी पुत्री विरधाराम पत्नी मेवाराम जाति मेगवाल, निवासी बोरला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
3. भगवती पुत्री विरधाराम जाति मेगवाल, निवासी अम्बावा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. विरधाराम पुत्र पुनमाराम 2. अमराराम पुत्र ताजाराम 3. डूंगराराम पुत्र उदाराम 4. चैनाराम पुत्र उदाराम 5. जोधाराम पुत्र ताजाराम 6. मेवाराम पुत्र ताजाराम 7. बागाराम पुत्र उदाराम 8. पीराराम पुत्र उदाराम (फौत) के कायम मुकाम 8/1. परखाराम पुत्र पीराराम 8/2. आसुराम पुत्र पीराराम 8/3. हड़मत पुत्र पीराराम 8/4. विष्णु पुत्र पीराराम 8/5. कीड़ीदेवी पत्नी पीराराम 9. हंजारीराम पुत्र विरधाराम 10. ताराराम पुत्र विरधाराम 11. गोरधनराम पुत्र विरधाराम 12. घेवरराम पुत्र विरधाराम नाबालिंग जरिये माता दाड़मदेवी 13. दाड़मदेवी पत्नी विरधाराम जाति मेगवाल, निवासी अम्बावा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 14. सांवलाराम पुत्र गंगाराम जाति मेगवाल, निवासी डूंगरी, तहसील सेड़वा, जिला जालोर 15. व्यवस्थापक–एस.बी.आई. बैक शाखा सेड़वा 16.व्यवस्थापक एसबीआई शाखा साता 17. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण–वादीगण के वकील– श्री मेहराराम सारण

प्रतिवादीगण संख्या 09 से 13 के वकील– करनाराम कड़वासरा

प्रतिवादी संख्या 14 के वकील– श्री दोषमोहम्मद

अन्तर्गत धारा 88,188, 207 RT Act.

निर्णय

दिनांक :– 30/03/2026

वादीनीगण पार्वती पुत्री विरधाराम जाति मेघवाल निवासी बोरला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा पेश वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि " मौजा अम्बावा पटवार क्षेत्र तरला, तहसील सेड़वा में वादीयागण की पुश्तैनी (पैतृक) खेत खसरा संख्या 442/276 रकबा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

193 हैक्टैयर, 441/276 रकबा 4.2007 हैक्टैयर, खसरा संख्या 434/276 रकबा 1.0441 क्टैयर के आये हुए है, जिसमें वादीयाण के पिता विरधाराम के हिस्से में वादीयाण प्रत्येक का 1/9 हिस्सा पुश्तैनी जन्मसिद्व हक हकूको का आया हुआ है, मौके पर पुश्तैनी कब्जा भी वादीगण का स्थित है। उक्त आराजी को वादग्रस्त में वादग्रस्त आराजी के नाम से उल्लेखित किया जाएगा। वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। जिसमें वादीगण का जन्मसिद्व हक हकूक व अधिकार है। मौके पर वादीगण की रहवासीय ढाणी भी स्थित है। उक्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा भी नहीं हुआ है, संयुक्त आराजी है, जिसमें वादीगण का कण–कण में पुश्तैनी, जन्मसिद्व हक हिस्सा मौजुद है। वादीयागण वादग्रस्त आराजी में पुश्तैनी हक हकूक, निहित होने से वादीयागण का वादग्रस्त भूमि में वादीयागण के पिता विरधाराम के हिस्से में वादीयागण प्रत्येक का 1/9 हिस्सा नोशनलशेयर का आया हुआ है। उक्त हिस्से का अधिकार, हक वादीगयाण का जन्मसिद्व का है। वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 विरधाराम आदतन अफिम व नशीली गोलिया खने का नशेड़ी है तथा मानसिक रोगी है, जिसकी दवाई भी पालनपुर हॉस्पीटल से चल रही है, तथा अफीम व डोडा पोस्त, शराब, के लम्बे समय से आदि है जिसकी नाजायज आपूर्ति के लिए नाजायज फायदा उठाकर वादीगण को पुश्तैनी हको से वंचित करने व भूमिहिन की श्रेणी में खड़े करने के आशय से वादग्रस्त वादीगण की पुश्तैनी सम्पूर्ण भूमि को बैचान, रहन, तर्क वसीयत, अन्य तरीके से दुर्व्यवहन करने व अन्य संक्रान्त करनें व वादीगण को नुकसान पहुंचाने के आशय से तुला हुआ है तथा ऐसा खतरा पैदा हो गया है। जिन्हे ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में वादीगण के पिता विरधाराम के हिस्से में वादीगण प्रत्येक का 1/9 हिस्सा अपना पुश्तैनी, कब्जाकाश्त, जन्मसिद्व हक हकूक का होने से उक्त हिस्से की खातेदारी घोषणा वादीगण पानें का हकदार होने से दावा खातेदारी घोषणा का पेश है। प्रतिवादी विरधाराम ने वादीगण को आज से पांच रोज पूर्व ऐलानियां धमकिया दी कि वादग्रस्त भूमि का बैचान करने का सोदा तय हो गया है, सम्पूर्ण भूमि को बदमाश, अजनबी व्यक्ति को बेचान कर जबरन कब्जा करेगें तथा बैदखल करेगें। जिससे पूर्व में भूमि 25 बीघा भूमि बैचान कर चुका है, जिससे रोकने हेतू दावा पेश है। प्रतिवादी संख्या 01 विरधाराम को वादीगण की पुश्तैनी भूमि व वादीगण के पुश्तैनी जन्मसिद्व हक हिस्से को बैचान, रहन खुर्द–बुर्द करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है तथा अपनी नशीली आपूर्ति डोडा, अफीम, शराब इत्यादि नाजायज आवश्यकता के लिए वादग्रस्त पुश्तैनी सम्पूर्ण भूमि को गैर कानूनी रूप से बैचान, रहन करने को तुला हुआ है तथा खुद–बुर्द, बैचान, रहन करना चाहता है। जिससे वादीगण के पुश्तैनी हक खतरे में पड़ जाने से दावा एतदर्थ पेश है। वादग्रस्त भूमि बैचान, रहन करने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 विरधाराम वादीगण को कई बार मुझे ऐलानियां धमकियां दे चुके है कि वादग्रस्त भूमि को बैचान करने का सौदा तय हो गया है, आप कब्जा खाली कर दो। अन्यथा आपको जबरन बैदखल कर कब्जा कराएंगे। जिससे ऐसा करने का उन्हे कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादी विरधाराम वादीगण को ऐलानियां धमकियां दे चुके है कि वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि को बैचान, रहन कर देगें तथा वादीगण को जबरन बैदखल करेंगें जिससे वादीगण स्थाई

सहायक कलक्टर सेडवा

(2)
सहायक कलक्टर
(SDO) सेडवा

आज्ञा पानें का हकदार होने से दावा पेश है। मौजा सरहद मौजा अम्बावा पटवार क्षेत्र तरला के खसरा संख्या 442/276 रकबा 21.0193 हैक्टैयर भूमि वादीगण की पुश्तैनी होने से पुश्तैनी होने से पुश्तैनी भूमि में जन्मसिद्व हक हकूक अधिकार होने से वादग्रस्त भूमि में वादीगण के पिता विरधाराम के हिस्से में वादीगण प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा की खातेदारी घोषणा की डिक्रि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण जारी फरमावें। प्रतिवादी संख्या 01 विरधाराम ने वादग्रस्त आराजी का बैचान अपने हिस्से से अधिक अवैध व गैर कानूनी रूप से प्रतिवादी संख्या 14 सांवलाराम पुत्र गंगाराम को कर दिया, उक्त बैचान से प्रतिवादी सांवलाराम को कोई हक हकूक हासिल नहीं होते है, ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। हिस्से से अधिक कराया गया बैचान प्रतिवादी के विरूद्व शून्य प्रभावी बेअसर करार देने योग्य है तथा उक्त बैचान से किये गये इन्द्राज अवैध व गैर कानूनी होने से अपास्तनीय योग्य है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 09 से 13 की ओर अधिवक्ता श्री करनाराम कड़वासरा ने वकालतनामा मय काउन्टर क्लेम पेश किया जो निम्नानुसार हैः– मौजा अम्बावा पटवार क्षेत्र तरला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में वादीयागण व प्रतिवादी संख्या 09 से 13 की पैतृक खेत खसरा संख्या 442/276 रकबा 21.0193 हैक्टैयर, खसरा संख्या 441/276 रकबा 4.2007 हैक्टैयर व खसरा संख्या 434/276 रकबा 1.0441 हैक्टैयर के आये हुए है, जिसमें वादीयागण व प्रतिवादी संख्या 09 से 13 के पिता विरधाराम के हिस्से में प्रत्येक वादीयागण व प्रतिवादी संख्या 09 से 13 का 1/9–1/9 हिस्सा पुश्तैनी जन्मसिद्व हक हकूको का आया हुआ है। वादीयागण के पिता के हिस्से में से वादीयागण का 1/9–1/9 हिस्सा घोषित किया जाता है जिसमें प्रतिवादी संख्या 09 से 13 को कोई आपत्ति नहीं हैं तथा प्रतिवादी संख्या 09 से 13 का जवाब स्वीकार कर वादीगण के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 09 से 13 अपने पिता विरधाराम की भूमि में से अपना पैतृक 1/9–1/9 हिस्सा की घोषणा करवानें के कानूनी हकदार होने से काउन्टर ऑफ क्लैम पेश है। मौजा अम्बावा पटवार क्षेत्र तरला तहसील सेड़वा जिला में वादीयाण व प्रतिवादी संख्या 09 से 13 की पैतृक खेत खसरा संख्या 442/276 रकबा 21.0193 हैक्टैयर, खसरा संख्या 441/276 रकबा 4.2007 हैक्टैयर व खसरा संख्या 434/276 रकबा 1.0441 हैक्टैयर आयी हुई इसलिए वादीयागण के साथ प्रतिवादी संख्या 09 से 13 के पैतृक 1/9–1/9 हिस्से के कब्जे में वादीयागण व अन्य

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

वादीगण हस्तक्षेप नहीं करे व नहीं करावें इस आशय से प्रतिवादी संख्या 09 से 13 के पक्ष स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्याय संगत है। प्रतिवादी संख्या 09 से 13 का अपने पिता विरधाराम की भूमि में से 1/9–1/9 हिस्सा पैतृक बनता है जिस पर प्रतिवादी संख्या 09 से 13 का अपने पैतृक हिस्से पर शांतिपूर्ण उपयोग चलता आ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या संख्या 14 की और से अधिवक्ता श्री दोशमोहम्मद ने वकालतनाम पेश किया जिससे शामिल पत्रावली किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 14 को जवाब के अनेक अवसर देने के बावजूद भी कोई जवाब पेश नहीं किया इसलिए उनका जवाब बन्द किया जाता है तथा शेष प्रतिवादीगण से कोई उपस्थित नहीं हुए, इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। वादीगण वकील ने वादी साक्ष्यों में PW-1 में पार्वतीदेवी पुत्री विरधाराम जाति मेगवाल निवासी अम्बावा, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर, PW-2 में गुलाबी पुत्री विरधाराम जाति मेगवाल निवासी अम्बावा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर, PW-3 में भगवती पुत्री विरधाराम जाति मेगवाल निवासी अम्बावा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा लिखित दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श ई.एक्स.पी.01(प्रदर्श 01) जमाबंदी(खेवट/खतौनी)(प्रतिलिपि) अंतिम चौसला आधार संवत 2076–2079 जमाबंदी 2078(वर्ष 2022) से स्थायी मौजा अम्बावा पटवार क्षेत्र तरला, तहसील सेड़वा में खेत खसरा संख्या 442/276 रकबा 21.0193 हैक्टैयर, 441/276 रकबा 4.2007 हैक्टैयर, खसरा संख्या 434/276 रकबा 1.0441 हैक्टैयर, प्रदर्श ई.एक्स.पी. 02(प्रदर्श 02 नक्शा) मौजा अम्बावा पटवार क्षेत्र तरला, तहसील सेड़वा खेत खसरा संख्या 442/276 रकबा 21.0193 हैक्टैयर, 441/276 रकबा 4.2007 हैक्टैयर, खसरा संख्या 434/276 रकबा 1.0441 हैक्टैयर बतौर दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रदर्शित (Exhibit)करवाए।

PW-1 पार्वतीदेवी पुत्री विरधाराम जाति मेगवाल निवासी अम्बावा, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर ने शपथ पत्र में कथन किया कि मौजा अम्बावा पटवार क्षेत्र तरला, तहसील सेड़वा में वादीयागण की पुश्तैनी (पैतृक) खेत खसरा संख्या 442/276 रकबा 21.0193 हैक्टैयर, 441/276 रकबा 4.2007 हैक्टैयर, खसरा संख्या 434/276 रकबा 1.0441 हैक्टैयर के आये हुए है, जिसमें वादीयागण के पिता विरधाराम के हिस्से में वादीयागण प्रत्येक का 1/9 हिस्सा पुश्तैनी जन्मसिद्व हक हकूको का आया हुआ है, मौके पर पुश्तैनी कब्जा भी वादीगण

सहायक कलक्टर मेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

स्थित है। वादग्रस्त आराजी मुझ वादीनी की पुश्तैनी आराजी है। जिसमें मेरा जन्मसिद्व हक हकूक व अधिकार है। मौके पर मेरी रहवासीय ढाणी भी स्थित है। उक्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा भी नहीं हुआ है, संयुक्त आराजी है, जिसमें वादीगण का कण–कण में पुश्तैनी, जन्मसिद्व हक हिस्सा मौजुद है। वादीयागण वादग्रस्त आराजी में पुश्तैनी हक हकूक निहित होने से मुझ वादीनी का वादग्रस्त भूमि में मेरे पिता विरधाराम के हिस्से में वादीयागण प्रत्येक का 1/9 हिस्सा नोश्नलशेयर का आया हुआ है। उक्त हिस्से का अधिकार, हक वादीयागण का जन्मसिद्व का है। वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 विरधाराम आदतन अफिम व नशीली गोलिया खाने का नशेड़ी है तथा मानसिक रोगी है, जिसकी दवाई भी पालनपुर होस्पीटल स`चल रही है, तथा अफीम व डोडा पोस्त, शराब, के लम्बे समय से आदि है जिसकी नाजायज आपूर्ति के लिए नाजायज फायदा उठाकर वादीगण को पुश्तैनी हको से वंचित करने व भूमिहिन की श्रेणी में खड़े करने के आशय से वादग्रस्त वादीगण की पुश्तैनी सम्पूर्ण भूमि को बैचान, रहन, तर्क वसीयत अन्य तरीके से दुर्व्यवहन करने व अन्य संक्रान्त करनें व वादीगण को नुकशान पहुंचाने के आशय से तुला हुआ है तथा ऐसा खतरा पैदा हो गया है। हिन्हे ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं। वादीगण का वागद्रस्त भूमि में मेरे पिता विरधाराम के हिस्से मेरा 1/9 हिस्सा अपना पुश्तैनी, कब्जाकाश्त, जन्मसिद्व हक हकूक का होने से उक्त हिस्से की खातेदारी घोषणा वादीगण पानें का हकदार है। प्रतिवादी विरधाराम ने वादीगण को आज से पांच रोज पूर्व ऐलानियां धमकियां दी कि वादग्रस्त भूमि का बेचान करने का सोदा तय हो गया है, सम्पूर्ण भूमि को बदमाश, अजनबी व्यक्ति को बैचान कर जबरन कब्जा करेगें तथा बैदखल करेगें। जिससे पूर्व में भूमि 25 बीघा भूमि बैचान कर चुका है, प्रतिवादी संख्या 01 विरधाराम को वादीयागण की पुश्तैनी भुमि व वादीगण को पुश्तैनी जन्म सिद्व हक हिस्से को बैचान, रहन खुर्द–बुर्द करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है तथा अपनी नशीली आपूर्ति डोडा, अफीम, शराब इत्यादि नाजायज आवश्यकता के लिए वादग्रस्त पुश्तैनी सम्पूर्ण भूमि को गैर कानूनी रूप से बैचान, रहन करने को तुला हुआ है तथा खुद–बुर्द, बैचान, रहन करना चाहता है। जिससे मुझ वादीया के पुश्तैनी हक खतरे में पड़े है। वादग्रस्त भूमि बैचान, रहन करने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 विरधाराम वादीगण को कई बार मुझे ऐलानियां धमकियां दे चुके है कि वादग्रस्त भूमि को बैचान करने का सौदा तय हो गया है, आप कब्जा खाली कर दो। अन्यथा आपको जबरन

सहायक कलक्टर सेडवा

सहायक कलक्टर (SDO) सेडवा

खल कर कब्जा कराएंगे। जिससे ऐसा करने का उन्हें कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादी विरधाराम वादीगण को ऐलानियां धमकियां दे चुके है कि वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि को बैचान, रहन कर देगें तथा वादीगण को जबरन बैदखल करेंगें जिससे वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पानें का हकदार है, प्रतिवादीगण मुझ वादीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, दखलन्दाजी व बाधा कारित नहीं करें तथा प्रतिवादीगण वादीगण को कब्जे काश्त से जबरन बैदखल नहीं करें।

PW-2 में गुलाबी पुत्री विरधाराम जाति मेगवाल निवासी अम्बावा, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर ने शपथ पत्र में कथन किया कि मौजा अम्बावा पटवार क्षेत्र तरला, तहसील सेड़वा में वादीयागण की पुश्तैनी (पैतृक) खेत खसरा संख्या 442/276 रकबा 21.0193 हैक्टैयर, 441/276 रकबा 4.2007 हैक्टैयर, खसरा संख्या 434/276 रकबा 1.0441 हैक्टैयर के आये हुए है, जिसमें वादीयागण के पिता विरधाराम के हिस्से में वादीयागण प्रत्येक का 1/9 हिस्सा पुश्तैनी जन्मसिद्व हक हकूको का आया हुआ है, मौके पर पुश्तैनी कब्जा भी वादीगण का स्थित है। वादग्रस्त आराजी मुझ वादीनी की पुश्तैनी आराजी है। जिसमें मेरा जन्मसिद्व हक हकूक व अधिकार है। मौके पर मेरी रहवासीय ढाणी भी स्थित है। उक्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा भी नहीं हुआ है, संयुक्त आराजी है, जिसमें वादीगण का कण–कण में पुश्तैनी, जन्मसिद्व हक हिस्सा मौजुद है। वादीयागण वादग्रस्त आराजी में पुश्तैनी हक हकूक निहित होने से मुझ वादीनी का वादग्रस्त भूमि में मेरे पिता विरधाराम के हिस्से में वादीयागण प्रत्येक का 1/9 हिस्सा नोश्नलशेयर का आया हुआ है। उक्त हिस्से का अधिकार, हक वादीयागण का जन्मसिद्व का है। वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 विरधाराम आदतन अफिम व नशीली गोलिया खाने का नशेड़ी है तथा मानसिक रोगी है, जिसकी दवाई भी पालनपुर होस्पीटल स`चल रही है, तथा अफीम व डोडा पोस्त, शराब, के लम्बे समय से आदि है जिसकी नाजायज आपूर्ति के लिए नाजायज फायदा उठाकर वादीगण को पुश्तैनी हको से वंचित करने व भूमिहिन की श्रेणी में खड़े करने के आशय से वादग्रस्त वादीगण की पुश्तैनी सम्पूर्ण भूमि को बैचान, रहन, तर्क वसीयत अन्य तरीके से दुर्व्यवहन करने व अन्य संक्रान्त करनें व वादीगण को नुकशान पहुंचाने के आशय से तुला हुआ है तथा ऐसा खतरा पैदा हो गया है। हिन्हे ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं। वादीगण का वागद्रस्त भूमि में मेरे पिता विरधाराम के हिस्से मेरा 1/9 हिस्सा अपना पुश्तैनी, कब्जाकाश्त, जन्मसिद्व

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

6

हकूक का होने से उक्त हिस्से की खातेदारी घोषणा वादीगण पानें का हकदार है। प्रतिवादी विरधाराम ने वादीगण को आज से पांच रोज पूर्व ऐलानियां धमकियां दी कि वादग्रस्त भूमि का बेचान करने का सोदा तय हो गया है, सम्पूर्ण भूमि को बदमाश, अजनबी व्यक्ति को बैचान कर जबरन कब्जा करेगें तथा बैदखल करेगें। जिससे पूर्व में भूमि 25 बीघा भूमि बैचान कर चुका है, प्रतिवादी संख्या 01 विरधाराम को वादीयागण की पुश्तैनी भुमि व वादीगण को पुश्तैनी जन्म सिद्व हक हिस्से को बैचान, रहन खुर्द–बुर्द करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है तथा अपनी नशीली आपूर्ति डोडा, अफीम, शराब इत्यादि नाजायज आवश्यकता के लिए वादग्रस्त पुश्तैनी सम्पूर्ण भूमि को गैर कानूनी रूप से बैचान, रहन करने को तुला हुआ है तथा खुद–बुर्द, बैचान, रहन करना चाहता है। जिससे मुझ वादीया के पुश्तैनी हक खतरे में पड़े है। वादग्रस्त भूमि बैचान, रहन करने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 विरधाराम वादीगण को कई बार मुझे ऐलानियां धमकियां दे चुके है कि वादग्रस्त भूमि को बैचान करने का सौदा तय हो गया है, आप कब्जा खाली कर दो। अन्यथा आपको जबरन बैदखल कर कब्जा कराएंगे। जिससे ऐसा करने का उन्हें कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादी विरधाराम वादीगण को ऐलानियां धमकियां दे चुके है कि वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि को बैचान, रहन कर देगें तथा वादीगण को जबरन बैदखल करेंगें जिससे वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पानें का हकदार है, प्रतिवादीगण मुझ वादीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, दखलन्दाजी व बाधा कारित नहीं करें तथा प्रतिवादीगण वादीगण को कब्जे काश्त से जबरन बैदखल नहीं करें।

PW-3 में भगवती पुत्री विरधाराम जाति मेगवाल निवासी अम्बावा, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर ने शपथ पत्र में कथन किया कि मौजा अम्बावा पटवार क्षेत्र तरला, तहसील सेड़वा में वादीयागण की पुश्तैनी (पैतृक) खेत खसरा संख्या 442/276 रकबा 21.0193 हैक्टैयर, 441/276 रकबा 4.2007 हैक्टैयर, खसरा संख्या 434/276 रकबा 1.0441 हैक्टैयर के आये हुए है, जिसमें वादीयागण के पिता विरधाराम के हिस्से में वादीयागण प्रत्येक का 1/9 हिस्सा पुश्तैनी जन्मसिद्व हक हकूको का आया हुआ है, मौके पर पुश्तैनी कब्जा भी वादीगण का स्थित है। वादग्रस्त आराजी मुझ वादीनी की पुश्तैनी आराजी है। जिसमें मेरा जन्मसिद्व हक हकूक व अधिकार है। मौके पर मेरी रहवासीय ढाणी भी स्थित है। उक्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा भी नहीं हुआ है, संयुक्त आराजी है, जिसमें वादीगण का कण–कण में

सहायक कलेक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

तनी, जन्मसिद्व हक हिस्सा मौजूद है। वादीयागण वादग्रस्त आराजी में पुश्तैनी हक हकूक निहित होने से मुझ वादीनी का वादग्रस्त भूमि में मेरे पिता विरधाराम के हिस्से में वादीयागण प्रत्येक का 1/9 हिस्सा नोश्नलशेयर का आया हुआ है। उक्त हिस्से का अधिकार, हक वादीयागण का जन्मसिद्व का है। वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 विरधाराम आदतन अफिम व नशीली गोलिया खाने का नशेड़ी है तथा मानसिक रोगी है, जिसकी दवाई भी पालनपुर होस्पीटल स`चल रही है, तथा अफीम व डोडा पोस्त, शराब, के लम्बे समय से आदि है जिसकी नाजायज आपूर्ति के लिए नाजायज फायदा उठाकर वादीगण को पुश्तैनी हको से वंचित करने व भूमिहिन की श्रेणी में खड़े करने के आशय से वादग्रस्त वादीगण की पुश्तैनी सम्पूर्ण भूमि को बैचान, रहन, तर्क वसीयत अन्य तरीके से दुर्व्यवहन करने व अन्य संक्रान्त करनें व वादीगण को नुकशान पहुंचाने के आशय से तुला हुआ है तथा ऐसा खतरा पैदा हो गया है। हिन्हे ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं। वादीगण का वागद्रस्त भूमि में मेरे पिता विरधाराम के हिस्से मेरा 1/9 हिस्सा अपना पुश्तैनी, कब्जाकाश्त, जन्मसिद्व हक हकूक का होने से उक्त हिस्से की खातेदारी घोषणा वादीगण पानें का हकदार है। प्रतिवादी विरधाराम ने वादीगण को आज से पांच रोज पूर्व ऐलानियां धमकियां दी कि वादग्रस्त भूमि का बेचान करने का सोदा तय हो गया है, सम्पूर्ण भूमि को बदमाश, अजनबी व्यक्ति को बैचान कर जबरन कब्जा करेगें तथा बैदखल करेगें। जिससे पूर्व में भूमि 25 बीघा भूमि बैचान कर चुका है, प्रतिवादी संख्या 01 विरधाराम को वादीयागण की पुश्तैनी भुमि व वादीगण को पुश्तैनी जन्म सिद्व हक हिस्से को बैचान, रहन खुर्द–बुर्द करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है तथा अपनी नशीली आपूर्ति डोडा, अफीम, शराब इत्यादि नाजायज आवश्यकता के लिए वादग्रस्त पुश्तैनी सम्पूर्ण भूमि को गैर कानूनी रूप से बैचान, रहन करने को तुला हुआ है तथा खुद–बुर्द, बैचान, रहन करना चाहता है। जिससे मुझ वादीया के पुश्तैनी हक खतरे में पड़े है। वादग्रस्त भूमि बैचान, रहन करने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 विरधाराम वादीगण को कई बार मुझे ऐलानियां धमकियां दे चुके है कि वादग्रस्त भूमि को बैचान करने का सौदा तय हो गया है, आप कब्जा खाली कर दो। अन्यथा आपको जबरन बैदखल कर कब्जा कराएंगे। जिससे ऐसा करने का उन्हें कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादी विरधाराम वादीगण को ऐलानियां धमकियां दे चुके है कि वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि को बैचान, रहन कर देगें तथा वादीगण को जबरन बैदखल करेंगें जिससे वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पानें

सहायक कलेक्टर सेड़वा

सहायक कलेक्टर (SDO) सेड़वा

8

हकदार है, प्रतिवादीगण मुझ वादीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, दखलन्दाजी व बाधा कारित नहीं करें तथा प्रतिवादीगण वादीगण को कब्जे काश्त से जबरन बेदखल नहीं करें।

वकील वादीगण उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर वादीगण के अधिवक्ता ने बहस की। वादीगण अधिवक्ताकी बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से चिन्तन–मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारण उपरांत, उक्त तथ्यों के आलोक में वादीगण का वाद संख्या 188/2023 उनवान पार्वती वगैरा बनाम विरधाराम वगैराअन्तर्गत धारा 88, 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः खेत मौजा अम्बावा पटवार क्षेत्र तरला, भू.अ.नि. क्षेत्र बाखासर तहसील सेड़वा में खाता संख्या नया 53 के खसरा संख्या 442/276 रकबा 21–0193 हैक्टेयर किस्म बा0सोयम, खाता संख्या 121 खसरा संख्या 441/276 रकबा 4.2007 हैक्टैयर, किस्म बा0सो0 व खाता संख्या 99 खसरा संख्या 434/276 रकबा 1.0441 हैक्टैयर, किस्म बा0सो0 भूमि में वादीगण की पुश्तैनी होने से पुश्तैनी भूमि में जन्मसिद्व हक हकूक अधिकार होने से वादग्रस्त भूमि में वादीगण के पिता विरधाराम के हिस्से में वादीगण प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 09 से 13 प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है।

तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30/3/24 को खुले इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा